



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(2)परावि/प्रशा.1/संस्था/वि.अ./पद./2012/1083 जयपुर दिनांक:- 13/8/2020

—:आदेश :-

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर राज्यहित में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	कहां से(पं.स.)	कहां को (पं.स.)	विशेष विवरण
1.	श्री जगदीश प्रसाद मीणा	बारां (बारां)	सांगोद (कोटा)	श्री राजीव तोमर के स्थान पर
2.	श्री राजीव तोमर	सांगोद (कोटा)	सुल्तानपुर (कोटा)	रिक्त पद पर

उक्त अधिकारी प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित पंचायत समिति से अविलम्ब कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति आदेशानुसार प्रस्तुत करेंगे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

(गौरव चतुर्वेदी)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त सचिव (एल.टी.) मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, कोटा।
7. जिला कलक्टर, कोटा।
8. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कोटा।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति बारां/सांगोद/सुल्तानपुर।
10. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
11. ए.सी.पी मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)